

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग,

मंत्रालय

कर्मॉक : 255 / आर-1703 / चार / ब-1 / 2012

भोपाल दिनांक 16 जून 2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,

मध्यप्रदेश ।

विषय :- लोक वित्त से वित्त पोषित (Publicly Funded) कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं के परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन की प्रक्रिया ।

संदर्भ :- मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग का परिपत्र कर्मॉक : 347 / आर-1703 / चार / ब-1 / 2012 भोपाल दिनांक 31 मार्च 2017


000

संदर्भित परिपत्र के द्वारा योजनाओं/परियोजनाओं की निरंतरता केन्द्रीय वित्त आयोग की आवार्ड अवधि के लिये प्राप्त करने के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था । वर्तमान में 15 वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा प्रथम अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये संसाधनों की उपलब्ध की अनुशंसायें की गई हैं ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में समस्त ऐसी योजनाएं जो पूर्व में संदर्भित परिपत्र अनुसार सक्षम स्तर से स्वीकृत है, जिनको बंद करने का निर्णय ना किया हो एवं/या शून्य बजट प्रावधान ना हो वो दिनांक 31/03/2021 तक के लिए निरंतर मान्य की जायेंगी । इसके पश्चात् की अवधि के लिये योजनाओं/परियोजनाओं की निरंतरता हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे ।

2/- वित्तीय वर्ष 2020-21 में नवीन योजनाओं/पुनरीक्षित योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया के संबंध में संदर्भित परिपत्र की कंडिका-4 एवं 5 अनुसार ही कार्यवाही की जाये ।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(अमित राठी)

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल ।
 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल ।
 3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
 4. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
 5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
 6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
 7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
 8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
 9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
 10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
 11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
 12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 म.प्र. ग्वालियर/भोपाल ।
 13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
 14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
 15. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
 16. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
 17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए ।
 18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल ।
 19. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफीसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
 20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
 21. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
 22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल ।
 23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, मंत्रालय, भोपाल ।
 24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ ।
 25. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
 26. गार्ड फाईल ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(रूपेश कुमार पठवार)

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग